

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1134 / 2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 07.12.2015

फाइलिंग नंबर : 230303021802015

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—अनिल कुशवाह पुत्र रामलाल कुशवाह उम्र 24 वर्ष
 - 2—रामलाल कुशवाह पुत्र बुद्धसेन कुशवाह उम्र 52 वर्ष
- निवासीगण वार्ड नं० 1 छत्तरपुरा गोहद थाना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 452, 325, एवं 506 भाग दो भा०द०स०)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 27-10-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 08.07.15 को शाम करीबन 6 बजे फरियादी अनिल बाथम के घर के पास छत्तरपुरा गोहद सार्वजनिक स्थल पर फूलसिंह को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुननेवालों को क्षोभ कारित करने, फूलसिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने, फूलसिंह की मारपीट कर उसे छत से गिराकर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने एवं उसी समय फरियादी फूलसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने हेतु भा०द०स० की धारा 294, 452, 325 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.15 को फरियादी अनिल फूलसिंह के मकान की तरफ जा रहा था तो उसने देखा था कि

फूलसिंह की छत पर आरोपी रामलाल, अनिल तथा कप्तान चढ़े हुए थे एवं फूलसिंह को मां बहन की गालियाँ देकर फूलसिंह की मारपीट कर रहे थे वह फूलसिंह को बचाने के लिए छत पर चढ़ा था फूलसिंह नशे में था तभी बचाने में धक्कामुक्की में फूलसिंह छत के नीचे गिर गया था जिससे उसके शरीर में मूंदी चोटें आई थी मौके पर नन्दकिशोर आ गया था जिसने घटना देखी थी फिर वह अपने मामा फूलसिंह को लेकर रिपोर्ट करने गया था। फरियादी अनिल की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध 210/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी फूलसिंह द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294, 325 एवं 506 भाग दो के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है एवं आरोपीगण के मात्र भा0द0स0 की धारा 452 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.07.15 को शाम करीबन 6 बजे आहत फूलसिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी अनिल बाथम अ0सा01, साक्षी नन्दकिशोर अ0सा02, प्र0आरक्षक रामसेवक अ0सा03, एवं आहत फूलसिंह अ0सा04, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अनिल अ0सा01 जिसके द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 9 माह पूर्व की शाम 5-6 बजे की है वह अपने मामा के घर की तरफ से बाजार जा रहा था तो रामलाल, अनिल और कप्तान उसके मामा फूलसिंह की छत पर

मारपीट कर रहे थे। अनिल और रामलाल ने उसके मामा को छत से धक्का दे दिया था कप्तान ने कहा था कि इसे छत से उठाकर फेंक दो धक्का देने से उसके मामा छत से नीचे गिर पड़े थे एवं उनके पैर, कमर और सिर में चोटें आई थीं तथा उनका दांत टूट गया था वह उन्हें लेकर थाने गया था जहां उसने रिपोर्ट की थी रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. आहत फूलसिंह अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक-डेढ़ साल पहले शाम 6 बजे की है वह अपने घर के बाहर रास्ते में खड़ा था तो रास्ते में निकलने के उपर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण ने उसकी छत पर आकर उससे सब्जी के पैसे मांगे थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि इसी बात पर तीनों आरोपीगण ने लात घूंसे से उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात अपने पुलिस कथन प्र0पी-4 में पुलिस को लिखाई थी।

10. साक्षी नन्दकिशोर अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11. प्र0आरक्षक रामसेवक अ0सा03 ने प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

13. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 294, 325 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 452 के अंतर्गत विचारण शेष है।

14. उक्त संबंध में आहत फूलसिंह अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर के बाहर रास्ते में खड़ा था तो रास्ते से निकलने के उपर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने घरमें घुसकर उसकी छत पर आकर उसकी मारपीट की थी।

15. इस प्रकार फूलसिंह अ0सा04 ने आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया है। यद्यपि फरियादी अनिल बाथम अ0सा01

जिसके द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने उसके मामा फूलसिंह की छत पर जाकर फूलसिंह की मारपीट की थी एवं अनिल व रामलाल ने उसके मामा फूलसिंह को छत से धक्का दे दिया था परन्तु यह बात स्वयं आहत फूलसिंह अ0सा04 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फूलसिंह अ0सा04 द्वारा मात्र यह बताया गया है कि घटना वाले दिन उसका घर के बाहर रास्ते में आरोपीगण से मात्र मुंहवाद हुआ था। फूलसिंह अ0सा04 ने आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने से इंकार किया है इस प्रकार फरियादी अनिल बाथम अ0सा01 के कथन का समर्थन स्वयं आहत फूलसिंह अ0सा04 द्वारा नहीं किया गया है। फूलसिंह अ0सा04 ने आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया है ऐसी स्थिति में अनिल बाथम अ0सा01 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं अनिल बाथम अ0सा01 के कथन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. साक्षी नन्दकिशोर अ0सा02 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. प्र0आरक्षक रामसेवक अ0सा03 द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है अतः प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी के कथन का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

18. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वयं आहत फूलसिंह अ0सा04 एवं नन्दकिशोर अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अनिल बाथम अ0सा01 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है। प्र0आरक्षक रामसेवक अ0सा03 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने आहत फूलसिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 08.07.15 को शाम करीबन 6 बजे आहत फूलसिंह के निवासगृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार

कारित किया । फलतः यह न्यायालय आरोपी अनिल कुमार एवं रामलाल को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

22. प्रकरण में कोई जप्तशुद्धा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 27.10.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)